

11/1/23

पत्रावली पैशा वकील प्रतिवादी उपस्थित।
वकील वादी अनुपस्थित। वकील वादी की
ओर से उनके जुमियद उपस्थित। पत्रावली
से पूर्व आदेशिका अनुवाद प्रति.सं.। को
डी.कद अन्य सभी प्रतिवादी डामो के
Summan जरिये Regd. AD द्वारा
पैशा करणे हेतु आदेशित किया गया

सारीख हुका	हुका या कार्यावाही मय दितिधियल जल	नमबर म कार्यावाही जलकलय जल हुका हुका की कार्यावाही म जारी हुका
------------	-----------------------------------	---

आदि परतक आदिनांक तक
 प्रथम सुनमाना पैसा नहीं
 नहीं आता पैसा किये जाने
 और नहीं सुनमाना नहीं पैसा
 करने हेतु या समझ वदमि हेतु
 कोई प्रयात कारण पैसा किया
 गया।

वर्तमान बाद आचारित एक
 डा. फण अंतर्गत द्वारा शा. व राज. प्रक
 मंत्रालयी अधि. से वकील वादी
 पूर्ण सारा एक एकपक्षीय अंतरिम
 आ. भा. श्री नि. पै. धा. जा. की दिनांक
 12.01.22 को आदेश 33 नियम 3
 C.P.C. के अंतर्गत युक्त पालन के
 निर्देश के साथ जारी की गई थी।
 परंतु आदिनांक तक न तो इस
 डा. फण में नोटिस शामिल कराया
 गया न ही वर्तमान के बाद में
 पूर्व के स्पष्ट आदेश दिनांक
 14.01.22 पश्चात भी बिना कोई
 प्रयात कारण के पैसा

अतः उपरोक्त विवेचन के
 आधार पर सिविल प्रक्रिया संस्था
 के आदेश 9 नियम 5 के तहत
 वाद खारिज किया जाता है।
 प्रयावली केसल शुमार होकर
 नमबर म. क. म. हा।

(५)
 11/1/23